न्यायालय – श्री कुमार अमित मनु
अपर सत्र न्यायाधीश, प्रथम–सह–विशेष न्यायाधीश अनुसुचित
जाति /जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, बांका (बिहार)
सत्रवाद वाद संख्या – 399/19
बिहार राज्य वनाम धीरज कुमार सिंह और अन्य

फार्म – ए

न्यायालय– अपर सत्र न्यायाधीश, प्रथम सह विशेष न्यायाधीश अनुसुचित जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, बांका

उपस्थित– कुमार अमित मनु, अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम सह–
विशेष न्यायाधीश अनुसुचित जाति/जनजाति अनुसुचित जाति/जनजाति
(अत्याचार निवारण) अधिनियम, बांका

निर्णय की तिथि – 16.06.2026

सत्रवाद संख्या – 399/19

प्राथमिकी संख्या – 114/18

धारा अंतर्गत : 323, 341, 307, 325, 504 भा0द0वि0

थाना – **शंभुगंज थाना, बांका**

सूचक	सुदेश कुमार सिंह, पिता श्री नारायण प्रसाद सिंह, साकिन वंशीपुर, थाना शंभुगंज, जिला बांका।
अभियोजन की तरफ से विद्वान अधिवक्ता	श्री सुबोध मिश्रा (अपर लोक अभियोजक)
अभियुक्त	1. **सागर कुमार सिंह** पिता शंभु प्रसाद सिंह, ग्राम बंशीपुर, थाना शंभुगंज, जिला बांका, उम्र लगभग 28 वर्ष। 2. **धीरज कुमार सिंह**, पिता शंभु प्रसाद सिंह, ग्राम बंशीपुर, थाना शंभुगंज, जिला बांका, उम्र लगभग 30 वर्ष। 3. **संजय कुमार सिंह**, पिता श्याम सुन्दर सिंह, ग्राम बंशीपुर, थाना शंभुगंज, जिला बांका, उम्र लगभग 56 वर्ष। 4. **राहुल कुमार सिंह**, पिता संजय कुमार सिंह, ग्राम बंशीपुर, थाना शंभुगंज, जिला बांका, उम्र लगभग 30 वर्ष। 5. **सुधांशु सिंह**, पिता श्याम सुन्दर सिंह, ग्राम बंशीपुर, थाना शंभुगंज, जिला बांका, उम्र लगभग 43 वर्ष। 6. **कन्हैया कुमार सिंह**, पिता संजय कुमार सिंह, ग्राम बंशीपुर, थाना शंभुगंज, जिला बांका, उम्र लगभग 29 वर्ष।
अभियक्तों की ओर से विद्वान अधिवक्ता	श्री विजय कुमार सिंह (विद्वान अधिवक्ता)

न्यायालय – श्री कुमार अमित मनु
अपर सत्र न्यायाधीश, प्रथम–सह–विशेष न्यायाधीश अनुसुचित
जाति /जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, बांका (बिहार)
सत्रवाद वाद संख्या – 399/19
बिहार राज्य वनाम धीरज कुमार सिंह और अन्य

फार्म – बी

अपराध की तिथि	01-06-2018
प्राथमिकी की तिथि	01-06-2018
अंतिम प्रपत्र की तिथि	29-11-2018
आरोप गठन की तिथि	10-12-2019
साक्ष्य प्रारंभ होने की तिथि	19-07-2024
निर्णय हेतु निर्धारण की तिथि	01-06-2026
निर्णय की तिथि	15-06-2026
सजा आदेश की तिथि, यदि कोई हो	N.A.

अभियुक्त का विवरण

अभियुक्त का क्रम संख्या	अभियुक्त का नाम	गिरफ्तारी /आत्मसमर्पण की तिथि	जमानत पर छोड़ने की तिथि	आरोपित धारा	अभियुक्तों की दोषसिद्धि या दोषमुक्ति	दी गई सजा/ दंडादेश	धारा 428 दंड प्रकिया संहिता (Cr.P.C.)के प्रयोजन के लिए विचारण के दौरान भुगती गई हिरासत की अवधि
1	**सागर कुमार सिंह**			323, 341, 307, 325,504 भा0द0वि0	दोषमुक्ति	N.A	
2	**धीरज कुमार सिंह**			323, 341, 307, 325,504 भा0द0वि0	दोषमुक्ति	N.A	
3	**संजय कुमार सिंह**			323, 341, 307, 325,504 भा0द0वि0	दोषमुक्ति	N.A	
4	**राहुल कुमार सिंह**			323, 341, 307, 325,504 भा0द0वि0	दोषमुक्ति	N.A	
5	**सुधांशु सिंह**			323, 341, 307, 325,504 भा0द0वि0	दोषमुक्ति	N.A	
6	**कन्हैया कुमार सिंह**			323, 341, 307, 325,504 भा0द0वि0	दोषमुक्ति	N.A	

फार्म – सी

अभियोजन/प्रतिरक्षापक्ष/न्यायालय साक्षियों की सूची

अ. अभियोजन साक्ष्य

क्रम सं0	साक्षी का नाम	साक्ष्य की प्रकृति
01.	सुदेश कुमार सिंह	सूचक
02.	अनिल सिंह	अन्य
03.	रिपुजय सिंह	अन्य
04.	शंभु सिंह	अन्य

ब. प्रतिरक्षा साक्ष्य, यदि हो,

क्रम सं0	साक्षी का नाम	साक्ष्य की प्रकृति
Nil	Nil	

स. न्यायालय साक्षी, यदि हो

क्रम सं0	साक्षी का नाम	साक्ष्य की प्रकृति
Nil	Nil	

अभियोजन/प्रतिरक्षा/न्यायालय न्यायालय प्रदर्श की सूची

अ. अभियेाजन

क्रम सं0	प्रदर्श	विवरण
1	P-1/P.W.1	प्राथमिकी आवेदन

ब. प्रतिरक्षा प्रदर्श –

क्रम सं0	प्रदर्श	विवरण
1	Nil	Nil

स. न्यायालय प्रदर्श

क्रम सं0	प्रदर्श	विवरण
1	Nil	

द. वस्तु प्रदर्श

क्रम सं0	प्रदर्श	विवरण
1	Nil	

निर्णय

1. इस वाद में उपरोक्त नामित अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 323, 341, 307, 325, 504 भा0द0वि0 के अन्तर्गत आरोप गठित कर विचारण किया गया।
2. संक्षेप में अभियोजन का वाद यह है कि सूचक सुदेश कुमार सिंह ने एक लिखित आवेदन थाना प्रभारी शंभूगंज को इस आशय का दिया है कि दिनांक 01.06.2018 दिन शुक्रवार समय 7 बजे सुबह घर के आगे बथान पर खडे थे तो उनके गांव के धीरज कुमार सिंह, संजय कुमार सिंह, गज्जू कुमार सिंह उर्फ सुधांशु सिंह, सागर कुमार सिंह, श्याम सुन्दर सिंह, कन्हैया कुमार सिंह, राहुल कुमार सिंह सभी हरवे हथियार से लैस एकमत होकर गाली–गलौज करते हुये जान मारने के नियत से धीरज कुमार सिंह ने उनके सर पर लाठी से मारा जिससे उनका सर फट गया, जब उनको

बचाने उनका भाई अनिल सिंह आये तो उनके सर पर संजय सिंह रड से प्रहार किया तथा बचने के प्रयास में हाथ पर लगा जिससे उनका हाथ टुट गया। मारपीट के क्रम में सूचक के गले से दो भर सोने का चैन कीमत लगभग 60,000 रू0 तथा एक सैमसंग मोबाईल एवं नगद पॉच हजार रूपया संजय सिंह ने एवं अनिल सिंह के पॉकेट से सुधांशु कुमार सिंह ने 2000रू0 नगद एवं टाईटन घडी छीन लिया एवं सभी मिलकर दोनों को मारपीट कर जख्मी कर दिये।

3. सूचक के लिखित आवेदन के आधार पर शंभुगंज थाना काण्ड संख्या 114/2018 दिनांक 01.06.2018 दर्ज कर अनुसंधान किया गया। अनुसंधानोपरांत प्राथमिकी अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोप पत्र सं0 142/18 दिनांक 29.11.2018 को धारा 147, 341, 323, 325, 307, 504 भा0द0वि0 के अंतर्गत समर्पित किया गया।
4. दिनांक 02.04.2019 को अभियुक्तगण के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 341, 323, 325, 307, 504 भा0द0वि0 के अन्तर्गत संज्ञान लिया गया।
5. दिनांक 10.12.2019 को अभियुक्तगण के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 323, 341, 307, 325, 504 भा0द0वि0 के अन्तर्गत आरोप गठन कर हिन्दी में पढ़कर सुनाया समझाया गया, सुन समझ कर अभियुक्तगण ने आरोप को शिर्ष से इन्कार कर वाद विचारण का दावा किया।
6. अभियोजन की ओर से विचारण के क्रम में 04 साक्षी प्रस्तुत किया गया है अ0सा0सं0–01 सुदेश कुमार सिंह, अ0सा0सं0–02 अनिल सिंह, अ0सा0सं0–03 रिपुजय सिंह, अ0सा0सं0– 04 शंभु सिंह का परिक्षण कराया गया।
7. अभियोजन की ओर से दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में प्राथमिकी को प्रदर्श P-1/P.W.1 साबित कराया गया है।
8. अभियोजन का साक्ष्य बन्द होने के पश्चात् अभियुक्तगण का बयान धारा–313 दं0 प्र0 सं0 के अन्तर्गत अभिलिखित किया गया जिसमें अभियुक्त ने अधिरोपित आरोप से इन्कार करते हुये स्वंय को निर्दोष कहा है।
9. बचाव पक्ष की ओर से ना तो किसी का मौखिक अथवा दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया हैं।
10. अब न्यायालय के समक्ष निर्णय के बिन्दु पर विचारणीय प्रश्न यह है कि क्या अभियोजन अभियुक्तों के विरूद्ध आरोपित आरोप को युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करते में सफल रहा है?

न्यायालय – श्री कुमार अमित मनु
अपर सत्र न्यायाधीश, प्रथम–सह–विशेष न्यायाधीश अनुसुचित
जाति /जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, बांका (बिहार)
सत्रवाद वाद संख्या – 399/19
बिहार राज्य वनाम धीरज कुमार सिंह और अन्य

मंतव्य

11. अ0सा0सं0 –03 रिपुजय सिंह एवं अ0सा0सं0–04 शंभु सिंह को अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित किया गया तत्पश्चात् अभियोजन को प्रतिपरीक्षण हेतु न्यायालय द्वारा अनुमति दिया गया परन्तु प्रतिपरीक्षण में ऐसा कोई तत्थ नहीं आया जो अभियेाजन वाद को बल मिल सके।

12. **साक्षी 01 सुदेश कुमार सिंह** (सूचक) कंडिका 1 यह घटना 5 साल पूर्व की है। 9:30 बजे सुबह का समय था। उस समय मैं अपने घर में थे। जमीन का विवाद संजय सिंह, धिरज सिंह, सागर कुमार सिंह, सुंधांशु कुमार सिंह, कन्हईया कुमार सिंह, राहुल कुमार सिंह कुल 7 लोग के साथ था। कंडिका 2 उपरोक्त लोगों ने दिवार दिया हम रोके विवाद बढते गया जिससे मारपीट शुरू हो गया। हमको धिरज सिंह ने लाठी सर पर चोट लगा। मेरा भाई अनिल को हाथ में संजय सिंह ने रड से मारा हाथ टुट गया। कंडिका 3, प्राथमिक उपचार प्राथमिकी स्वास्थ केन्द्र शंभुगंज में हुआ वहॉ से भागलपुर रेफर कर दिया। वहॉ 5 दिन रहें। फिर केस हुआ। कंडिका 4 थाना में जाकर हम केस किये। आवेदन मेरे लिखावट एवं हस्ताक्षर में है पहचानते है जिसे प्रदर्श P-1/P.W.1 अंकित किया गया।

प्रतिपरीक्षण कंडिका 6 अभियुक्तगण मेरे गोतिया है। जगह–जमीन का विवाद खत्म हो गया है। कंडिका 7 झगडा शुरू होते ही 100–50 आदमी जुट गया उस भीड में किसने पीछे से मारा नहीं देख सके। मेरे भाई अनिल को किसने मारा नहीं देख सके। लोगों के बताने पर केस कर दिया। कंडिका 8 इस वाद और पल्टा मुकदमा में बिना किसी दबाब का सुलह कर लिये है और राजी–खुशी से मेल मिलाप कर लिये है। आगे मुकदमा लडना नहीं चाहते है।

13. **अ0सा0सं0 – 02 अनिल सिंह** कंडिका 1 यह घटना 5 साल पूर्व की है। घटना के वक्त मैं घर पर था। जमीन का विवाद को लेकर संजय सिंह, धिरज सिंह, सागर कुमार सिंह, सुधांशु कुमार सिंह, कन्हईया कुमार सिंह, राहुल कुमार सिंह ये सभी मारपीट किये जिसमें मेरा बांया हाथ में चोट लगा और भाई सुरेश कुमार सिंह को सिर पर चोट लगा। कंडिका 2 हमलोग को ईलाज कुरमा अस्पताल में हुआ वहॉ से मायागंज भेज दिया।

प्रतिपरीक्षण कंडिका 4 अभियुक्तगण चचेरा भाई है जगह–जमीन का विवाद था समाप्त हो गया है। अब कोई विवाद नहीं है। झंझट के समय 100–50 आदमी जमा हो गये थे और मुझे और मेरे भाई को घेर लिये थे। उस भीड में किसने मारा किस चीज से मारा नही देख सके। लोगों के बताने के आधार पर केस कर दिये। कंडिका 6 इस वाद और पल्टा मुकदमा में बिना

किसी दबाब का सुलह कर लिये है और राजी खुशी से मेल मिलाप कर लिये है। आगे मुकदमा लडना नहीं चाहते है।

14. इस वाद में धारा 307 भा0द0वि0 के अंतर्गत आरोपों का गठन किया है अ0सा0सं0 1 ने अपने अभिसाक्ष्य के मुख्य परिक्षण में मारपीट एंव लुटपाट की तथ्यों का समर्थन किया है परन्तु प्रतिपरीक्षण के कंडिका 7 में स्वीकार किया है झगडा शुरू होते ही 100–50 आदमी जुट गया उस भीड में किसने पीछे से मारा नहीं देख सके। मेरे भाई अनिल को किसने मारा नहीं देख सके। लोगों के बताने पर केस कर दिया। कंडिका 6 में स्वीकार किया है कि जगह जमीन का विवाद खत्म हो गया है तथा आगे कहे है कि इस वाद तथा पल्टा मुकदमा दोनों में बिना किसी दबाब का सुलह कर लिये है और राजी–खुशी से मेल मिलाप कर लिये है। आगे मुकदमा लडना नहीं चाहते है। अ0सा0सं0 2 ने भी अपने अभिसाक्ष्य के मुख्य परिक्षण में मारपीट की घटना का समर्थन किया है परन्तु अपने अभिसाक्ष्य के प्रतिपरीक्षण के कंडिका 4 में स्वीकार किया है कि अभियुक्तगण चचेरा भाई है जगह–जमीन का विवाद था समाप्त हो गया है। अब कोई विवाद नहीं है। झंझट के समय 100–50 आदमी जमा हो गये थे और मुझे और मेरे भाई को घेर लिये थे। उस भीड में किसने मारा किस चीज से मारा नही देख सके। लोगों के बताने के आधार पर केस कर दिये। कंडिका 6 में स्वीकार किया है कि इस वाद और पल्टा मुकदमा में बिना किसी दबाब का सुलह कर लिये है और राजी खुशी से मेल मिलाप कर लिये है। आगे मुकदमा लडना नहीं चाहते है। इस वाद में चिकित्सक साक्षी साक्ष्य हेतु उपस्थित नहीं है जिससे जख्म की प्रकृति स्पष्ट नहीं है और उपस्थित किसी साक्षी ने घटना कारीत करने वाले की पहचान नहीं किया है।

अतः उपर्युक्त विवेचना के आधार पर यह न्यायालय इस निर्णय पर पहुॅचती है कि अभियोजन 307 भा0द0वि के आरोपित आरोप को साबित करने में विफल रही है।

15. इस वाद में 323, 341, 325, 504 भा0द0वि0 के अंतर्गत आरोप का गठन किया गया है। अ0सा0सं0 1 सूचक सुदेश कुमार सिंह एवं जख्मी अनिल सिंह के द्वारा अपने अभिसाक्ष्य के प्रतिपरीक्षण में सुलह होने की बात को स्वीकार किया गया है तथा जमीन विवाद समाप्त होने का तथ्य अभिकथीत किया गया है। अन्य किसी साक्षी द्वारा अभियोजन वाद का समर्थन नहीं किया गया है। सभी धाराये समनीय है।

अतः उपर्युक्त विवेचना के आधार पर यह न्यायालय इस निर्णय पर पहुॅचती है कि अभियोजन 323, 341, 325, 504 भा0द0वि के आरोपित आरोप को साबित करने में विफल रही है।

समस्त अभिलेख के अवलोकन, साक्षी का साक्ष्य एवं उभय पक्षों के बहस से यह ज्ञात होता है कि दोनों पक्षों में जमीन का विवाद था जो समाप्त हो गया है तथा इस वाद में उभय पक्षों के बीच राजी खुशी से सुलह हो गया है। साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में किसी भी अभियुक्त को नहीं पहचानने का दावा करते है। अभियोजन द्वारा अभिलेख पर ऐसा कोई साक्ष्य एवं तथ्य प्रस्तुत नहीं किया गया है जो कि आरोपित धाराओं के अंतर्गत हुए अपराधों को साबित कर सके। उपर्युक्त विशलेषण के आधार पर यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि अभियोजन अभियुक्त पर लगे आरोपो को सारे संदेहों से परे साबित करने में असफल रहा है।

आदेश

उपर्युक्त निष्कर्ष के आधार पर धीरज कुमार सिंह, संजय कुमार सिंह, गज्जू कुमार सिंह उर्फ सुधांशु सिंह, कन्हैया कुमार सिंह, राहुल कुमार सिंह को धारा 323, 341, 307, 325, 504 भा0द0वि0 के अंतर्गत दोष मुक्त करते हुये उन्हे बंध पत्र के दायित्व से उन्मोचित किया जाता है।

अभियुक्त सागर कुमार सिंह, आज निर्णय के समय न्यायालय में उपस्थित नहीं है। न्यायालय का मत है कि उसकी उपस्थिति की प्रतीक्षा करने अथवा उसे उपस्थित कराने की प्रक्रिया से वाद के अंतिम निष्पादन में अनावश्यक विलम्ब होगा। अतः दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 353(6) के परंतुक के अधीन प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए निर्णय, उसकी अनुपस्थिति में ही उच्चारित किया जाता है। परिणामस्वरूप, अभियुक्त सागर कुमार सिंह आरोपित अपराधों से दोषमुक्त करते हुये उन्हे बंध पत्र के दायित्व से उन्मोचित किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित तथा खुले न्यायालय में उभयपक्षों के उपस्थिति में पढ़कर सुनाया गया।

अपर सत्र न्यायाधीश,
प्रथम, बांका
दिनांक 16.06.2026

अपर सत्र न्यायाधीश
प्रथम, बांका
दिनांक 16.06.2026